



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28112020-223390

CG-DL-W-28112020-223390

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 28—दिसम्बर 4, 2020 (अग्रहायण 7, 1942)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 28—DECEMBER 4, 2020 (AGRAHAYANA 7, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)=

## भाग III—खण्ड 4

## [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

श्रम और रोजगार मंत्रालय  
(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 2020

सं. ए-12/11/14/भ.वि.-एमआरटी/2017-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (पराचिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे चिकित्सा अभिलेख अधिकारी पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में चिकित्सा अभिलेख अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चिकित्सा अभिलेख अधिकारी, भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।  
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. निरहता— ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

5. शिथिल करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

6. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा अभिलेख अधिकारी	5*(2019) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्याधीन	समूह 'ख', अलिपिकवर्गीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 35,400-1,12,400 रुपये)	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : वेतन मैट्रिक्स रु. 25,500-81,100 के लेवल-4 में दस वर्ष की नियमित सेवा सहित चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन। चिकित्सा अभिलेख अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए, अभ्यर्थी द्वारा क.रा.बी.निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए संस्थान के माध्यम से पद की झूटी के क्षेत्र में तथा कौशल विकास आदि में प्रशिक्षण पूर्ण किया होना चाहिए। दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति हेतु ऐसे प्रशिक्षण को पूरा करने से छूट होगी। वर्षों जिन व्यक्तियों ने विभागीय पदोन्नति समिति की

				<p>बैठक की तिथि से पूर्व पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, उन पर भी इस शर्त के अधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा।</p> <p>टिप्पणी : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>
--	--	--	--	--

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :-</p> <p>(1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग</p> <p>—अध्यक्ष</p> <p>(2) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम</p> <p>—सदस्य</p> <p>(3) बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम</p> <p>—सदस्य</p> <p>समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :-</p> <p>(1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम</p> <p>—अध्यक्ष</p> <p>(2) निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक (चिकित्सा प्रशासन, मुख्यालय), कर्मचारी राज्य बीमा निगम</p> <p>—सदस्य</p> <p>(3) निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक (स्थापना-1, मुख्यालय), कर्मचारी राज्य बीमा निगम</p> <p>—सदस्य</p>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

अनुराधा प्रसाद  
महानिदेशक

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT  
(EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION)**

New Delhi, the 14th October 2020

No. A-12/11/14/RR-MRT/2017-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Paramedical post), Recruitment Regulations, 2010 in so far as they relate to the posts of Medical Record Officer, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Medical Record Officer in Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Medical Record Officer, Recruitment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age -limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax. - Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and with the prior approval of the Central Government, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. Savings. - Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Medical Record Officer.	05*(2019) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (₹ 35,400 – 1,12,400).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Medical Record Technician with Ten years' regular service in Level-4 in the Pay Matrix of ₹ 25,500– 81,100.</p> <p>For promotion to the post of Medical Record Officer, the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through training institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by Competent Authority.</p> <p>Those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman;</li> <li>2. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation. -Member;</li> <li>3. Insurance Commissioner, (Personnel &amp; Administration), Employees' State Insurance Corporation. -Member.</li> </ol> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Chairman;</li> <li>2. Director or Joint Director or Deputy Director (Medical Administration, Headquarter), Employees' State Insurance Corporation -Member;</li> <li>3. Director or Joint Director or Deputy Director (Establishment-I, Headquarter), Employees' State Insurance Corporation -Member.</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary.</p>

ANURADHA PRASAD  
Director General